राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.15(9)2024 / कार्मिक–स्ट्रेन्थ / प्रमुवसं–10882

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त / ट्री राज. जयपुर।
परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियो.–II, राज. जयपुर ।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. / अरावली वृक्षारोपण परियोजना राज.जयपुर।
निदेशक,राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / उदयपुर / भरतपुर / बीकानेर / जोधपुर / अजमेर / कोटा / वनवर्धन, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव जयपुर / उदयपुर / जोधपुर।
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का, अलवर, / रणथम्भौर, सवाईमाधोपुर / मुकन्दरा, कोटा।
मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी.कोटा / एफ.पी.आर. परियोजना जयपुर / विभागीय कार्य जयपुर।
उप वन संरक्षक (संस्थापन–राजपत्रित) / उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राजस्थान जयपुर।

विषयः– आगामी वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए संशोधित अनुमान (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) नियमित, स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदो का विवरण अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त (आय–व्ययक) विभाग का बजट परिपत्र क्रमांक प. 4(19)वित्त–1(1) आ.व्यय / 2024 दिनांक 30.08. 2024 एवं वित्तीय सलाहकार, वन विभाग राजस्थान जयपुर के यू. ओ. नोट क्रमांक 514 दिनांक 03.09. 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक बजट परिपत्र का वित विभाग की वैबसाईट पर अवलोकन करें। उक्त बजट परिपत्र के बीएफसी रिपोर्ट 1 में नियमित / स्वीकृत पदों का विवरण दिया गया है, जो कि Sanction Module/पे–मेनेजर पर पदों का नियमित रूप से अद्यतन होकर IFMS पर स्वतः दर्शित होगी। इस सम्बंध में सभी कार्यालय IFMS पर स्वीकृत पदों एवं पे–मेनेजर पर उपलब्ध पदों को सही से मिलान करना सुनिश्चित करें।

वित्त विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार आपके एवं आपके अधिनस्थ कार्यालयों की सूचना SSO IFMS के माध्यम से सूचना प्रपत्र–1 अ, ब, एवं बीएफसी रिपोर्ट 1, में 2 दिवस में ऑनलाईन अद्यतन कर इस कार्यालय को **ई–डाक** के माध्यम से **SSO ID RJJP201919032353** पर दिनांक 21.09.2023 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अगर किसी कार्यालय को ऑनलाईन डाटा अद्यतन करने में समस्या आती है तो सम्बंधित मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा डाटा अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

(18 सितम्बर – 2024 की स्थिति अनुसार)

1	प्रपत्र–1–अ	स्वीकृत पदो के विरूद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण।
2	प्रपत्र–1–ब	विभाग में संविदा पर नियोजित कार्मिकों का विवरण (स्वीकृत पदो के अतिरिक्त)।
3	बीएफसी रिपोर्ट 1	नियमित / स्वीकृत पदों का विवरण (बीएफसी रिपोर्ट 1)

बीएफसी सम्बंधित सूचना अद्यतन नहीं होने अथवा अद्यतन सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि होने से बीएफसी रिपोर्ट 1 की IFMS पर स्वतः अद्यतन सूचना गलत आती है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं कार्यालय / वनमण्डल की होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः– उक्तानुसार

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.15(9)2024 / कार्मिक–स्ट्रेन्थ / प्रमुवसं–10882

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उप वन संरक्षक / भू–संरक्षण अधिकारी / वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी / कार्य आयोजना अधिकारी / वन बंदोबस्त अधिकारीगण को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संर
राजस्थान, जयपुर

Document certified by Shikha Mehra <shikhamehraifs@gmail.com>.
Digitally Signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :19-09-2024 05:10:41

RajKaj Ref No.: 10575475